भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1287

(दिनांक 09.02.2022 को उत्तर के लिए)

आईएएस संवर्ग नियमावली में संशोधन

1287. प्रो. सौगत राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मौजूदा आईएएस संवर्ग नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने संवर्ग नियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों के विरूद्ध आपत्ति उठाई हैय

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी आपत्तियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या प्रस्तावित संशोधनों से देश का संघीय ढांचा प्रभावित होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) नियमावली, 1955 किसी संवर्ग/संयुक्त संवर्ग के वरिष्ठ ड्यूटी पदों का अधिकतम 40% केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के लिए निर्धारित करती है। तथापि, राज्य सरकारें भारत सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकारियों की पर्याप्त संख्या का प्रायोजन नहीं कर रही हैं।

इसलिए, उपर्युक्त समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव पर अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से टिप्पणियां मांगी गई हैं।

(ख) और (ग) : टिप्पणियों की जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) : उपर्युक्त भाग (क) से (ग) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित संशोधनों से देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करने का कोई मुद्दा नहीं उठता है।

****